न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/152/2016

उनवान

1. मुकेश पुत्र ऊंकार लाल सेवक निवासी बरडोद, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. केसर बेवा ऊंकार लाल सेवक निवासी बरडोद, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. नाना लाल पुत्र धूलीराम सेवक निवासी बरडोद, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरू पिता माधु खाती निवासी बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा मृतक के कायम मुकाम :–
   1/1 सत्यनारायण पुत्र स्व0 भैरू खाती निवासी बरडोद तहसील हमीरगढ (फौत होने से नाम डिलिट दिनांक 5.7.2017)
   1/2 भॅवर लाल पुत्र स्व0 भैरू खाती निवासी बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हमीरगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस्/विपक्षीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 253/2014 निर्णय दिनांक 25.05.2016

अभिभाषक : 1. श्री प्रवीण चौरडिया ,अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री गोपाल अजमेरा,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 4.7.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व , आधिपत्य एवं कब्जेकाश्त की आराजी ग्राम बरडोद, पटवार हल्का बरडोद तहसील हमीरगढ में आराजी नम्बर 2182 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 2183 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 2189 रकबा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 2190 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 2191 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 2192 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 7 बीघा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी पर सदैव से ही आराजी नम्बर 2193 से आता जाता था और 2193 साबिक आराजी नम्बर 2280 ,2282 थे व साबिक आराजी नम्बर 2264 में रास्ता रकबा 3 बिस्वा दर्ज रेकार्ड था जो जमाबंदी संवत 2018 से 2021 में हजारी, कालू पिता धूला खाती के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी और नक्शा ट्रेस मौजा बरडोद जागीर, जिला चित्तोडगढ रियासत उदयपुर मेवाड संवत 1991 सन् 1935 में रास्ता दर्ज है। लेकिन भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त साबिक नम्बर 2264 को न तो नया नक्शा में दर्ज किया और न ही उसका नया नम्बर दर्ज किया जो मौके पर 2193 में मिला दिया गया है जिसका भू प्रबन्ध को कोई अधिकार नहीं था।

2. प्रार्थीगण के हाल आराजी नम्बर 2182 के साबिक नम्बर 2274, आराजी नम्बर 2183 के 2276, 2277, 2275 व 2267 , तथा वर्तमान आराजी नम्बर 2189 के साबिक नम्बर 2265 , हाल आराजी नम्बर 2190 के हाल आराजी नम्बर 2266 एवं आराजी नम्बर 2191 के 2278 व 2279 एवं 2192 के साबिक नम्बर 2278 व 2279 थे। वर्तमान आराजी नम्बर 2189 व 2192 जो कि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है और प्राथीगण आराजी नम्बर 2193 में से होकर 2193 के पश्चिम में स्थित रास्ते से निकलता है यह रास्ता 2187 व 2188 के पास से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

होकर निकलता है। जो पुराने नक्शा मेवाड संवत 1991 में भी दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से विपक्षी संख्या 1 के मन में फितुर आ गया और विपक्षी संख्या 1 ने उक्त रास्ता बन्द कर दिया । जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने–जाने लिए परेशानी उठानी पड रही है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता अपनी आराजी में जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। अतः राजस्व नक्शे में उक्त रास्ता दर्ज कराया जावे विकल्प में विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बर 2193 के दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर आने–जाने के लिए बैगगाडी, ट्रेक्टर, ट्रॉली आदि लाने ले जाने के लिए रास्ता दिलाया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता खुलासा करने हेतु तहसीलदार का निर्देशित किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बर 2193 के दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ता दिलवाने हेतु निवेदन किया गया था एवं यह भी निवेदन किया गया था प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 को उसकी क्षतिपूर्ति राशि माफिक कानूनी प्रावधान अदा करने के लिए भी तैयार है। अपीलार्थीगण ने रास्ता चौडा करवाने अथवा रास्ता खुलवाने के लिए कोई दाद अधीनस्थ न्यायालय से नहीं चाही थी। उसके

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बावजूद प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के जरिये जो दाद चाही गई थी वह नहीं दी जाकर रास्ता चौडा करने की दाद दे दी गई। जो विधिसम्मत नहीं होने से अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में दौराने विचारण वाद विपक्षी संख्या 01की मृत्यु हो चुकी थी। जिसके कायम मुकाम बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसका निस्तारण किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प बरडौद में दिनांक 25.5.2016 को प्रकरण का निस्तारण कर दिया । जो विधिसम्मत नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे।

6. अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स द्वारा जो राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किया गया था उसका भी अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है । अपीलाण्ट ने यह भी निवेदन किया था कि मौजा बरडोद जागीर जिला चित्तोडगढ रियासत उदयपुर मेवाड का नक्शा ट्रेश प्रस्तुत किया जिसमें अपीलाण्ट्स द्वारा यह भी बतायाा गया था कि पूर्व में भी आराजी नम्बर 2264 राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज था । भू प्रबन्ध के दौरान साबिक नम्बर 2264 का नवीन रकबा भी दर्ज नही किया गया एवं उसे हाल आराजी नम्बर 2193 में मिला दिया गया है। इस बाबत राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किया । उसका भी अवलोकन नहीं किया गया । अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर रेस्पोडेण्ट संख्या

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1 की आराजी में विद्यमान रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1/1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का निवेदन था कि रास्ता विपक्षी ने रास्ता बन्द कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को समझाकर अपीलाधीन आदेश से गाडी, घौडे के आने जाने जितना रास्ता खुलासा करने का आदेश प्रदान कर दिया । जिससे अपीलार्थीगण को पूर्व के रास्ते से चौडा रास्ता उपलब्ध हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है। वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर विपक्षी द्वारा रास्ता बन्द कर दिये जाने से हो रही परेशानी के कारण रास्ता दिलवाने एवं उसकी क्षतिपूर्ति दिये जाने की सहमति व्यक्त की थी। अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया था।

9. अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन था कि जागीर के समय आराजी नम्बर 2264 राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज था। जिसका वे उपयोग उपभोग कर रहे थे। भू प्रबन्ध के दौरान रास्ते वाले भू भाग का नया नम्बर नहीं दर्शाया गया है अपितु उक्त रास्ते के नम्बर 2264 को हाल आराजी नम्बर 2193 में मिला दिया गया है। जो कि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

इस संबध में अधीनस्थ न्यायालय को राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर बाद विचारण निर्णय पारित करना चाहिये था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 9.12.2015 के अनुसार प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार विपक्षी संख्या 1 भैरू खाती आत्मज माधु खाती की मृत्यु दिनांक 24.10.2015 को हो जाने का तथ्य अंकित किया गया है एवं उनके वारिसान सत्यनारायण व भॅवर लाल दो पुत्र होने का तथ्य अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को तो रेकार्ड पर लिया गया है परन्तु विपक्षी संख्या 1 की मृत्यु के बाद उनके वारिसान को वारिस के रूप में कायम मुकाम दर्ज नहीं किया जाकर सीधे ही आनन–फानन में न्याय आपके द्वार केम्प में प्रकरण का निस्तारण कर दिया । जब विपक्षी संख्या 1 की मृत्यु हो चुकी थी उनके वारिसान को कायम मुकाम ही दर्ज नहीं किया गया था तो उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस प्रकार सुना गया था। दिनांक 25.5.2016 की आदेशिका में अंकित किया गया है।'' अतः दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय लिया गया कि तहसीलदार मौके पर काम में आ रहे रास्ते को गाडी–घौडे के आने–जाने का खुलासा करवावे। '' चूंकि न तो प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1 की मृत्यु के उपरान्त कायम मुकाम की कार्यवाही की गई साथ ही राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किये बगैर ही, अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष–रास्ता बन्द कर दिये जाने से हो रही परेशानी के कारण रास्ता दिलवाने, से परे जाकर एवं धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से अलग, रास्ते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का खुलासा किये जाने का अनुतोष दिये जाने के अपीलाधीन निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

11. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.5.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं साक्ष्य का समुचित अवलोकन कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16/8/18 को उपस्थित रहे।

12. निर्णय आज दिनांक 4.7.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

4/7/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)